भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3400

जिसका उत्तर शुक्रवार, 05 अगस्त, 2022 को दिया जाना है

कमजोर वर्गों के लिए वहनीय न्यायिक प्रक्रिया

3400. श्री अजय निषाद :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महंगी और जटिल न्यायिक व्यवस्था के कारण दलितों, पिछड़े वर्गों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों को न्याय नहीं मिलता है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा उपरोक्त वर्गों सहित समाज के सभी वर्गों के लिए न्यायिक प्रक्रिया को त्वरित और वहनीय बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : जी नहीं । सरकार दलितों, पिछड़े वर्गों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन किया गया है, जिससे समाज के कमजोर वर्गों को, जिसके अंतर्गत अधिनियम की धारा 12 के अधीन आने वाले लाभार्थी भी हैं, नि:शुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान की जा सकें, यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जाए, और लोक अदालतों का आयोजन यह सुनिश्चित करने के लिए करना कि विधिक तंत्र का संचालन समान अवसरों के आधार पर न्याय को बढ़ावा देता है।

इस प्रयोजन के लिए, ताल्लुक न्यायालय स्तर से लेकर उच्चतम न्यायालय तक विधिक सेवा संस्थाओं की स्थापना की गई है। विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा की

जाने वाली गतिविधियों/कार्यक्रमों में विधिक सहायता और सलाह; विधिक जागरूकता कार्यक्रम; विधिक सेवाएं/सशक्तिकरण शिविर; विधिक सेवा क्लीनिक; विधिक साक्षरता क्लब; लोक अदालतें और पीड़ित प्रतिकर स्कीम का कार्यान्वयन, भी सम्मिलित है।

(ग) : न्याय के लिए त्वरित और न्यायसंगत पहुंच को सक्षम करने के लिए, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) ने सामान्य नागरिकों के लिए विधिक सहायता तक सुगम पहुंच को समर्थ करने हेतु एंड्रॉइड और आईओएस वर्जनों पर विधिक सेवा मोबाइल ऐप आरंभ किया है।

इसके अतिरिक्त , भारत सरकार द्वारा न्याय तक पहुंच पर "भारत में न्याय के लिए समग्र पहुंच हेतु अभिनव समाधान डिजाइनिंग" नामक एक स्कीम आरंभ की गई है, जिसका उद्देश्य, टेली-विधि के माध्यम से मुकदमा- पूर्व सलाह और परामर्श प्रबल करना: दूर-दराज पहुँचना ; न्याय बंधु (प्रो-बोनो विधिक सेवा) कार्यक्रम के माध्यम से नि:शुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय वितरण ढांचा सुनिश्चित करना; अपने न्याय मित्र कार्यक्रम के माध्यम से जिला स्तर पर 15 वर्ष से पुराने लंबित मामलों के निपटान की सुविधा और अखिल भारतीय विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाना, है। यह स्कीम, अपने हस्तक्षेप का समर्थन करने और समाज के गरीब और सबसे कमजोर वर्गों के लिए विधिक सेवाओं तक आसानी से पहुंचने के लिए प्रादेशिक/ स्थानीय भाषा में प्रौद्योगिकी के उपयोग और प्रासंगिक आईईसी (सूचना, शिक्षा और संचार) सामग्री को विकसित करती है। ये सभी सेवाएं, सभी नागरिकों को, जिसके अंतर्गत दलित, पिछड़े वर्ग और समाज के अन्य कमजोर वर्ग भी हैं, नि:शुल्क प्रदान की जाती हैं।

****